भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1439

(जिसका उत्तर 01 जुलाई, 2019/10 आषाढ़, 1941 (शक) को दिया जाना है)

शिक्षा ऋणों पर ब्याज

1439. श्री रामप्रीत मंडलः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार छात्रों को उनकी पढ़ाई के लिए बैंकों के माध्यम से शिक्षा ऋण प्रदान करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ऋण के ब्याज की गणना उस तारीख से की जाती है जिस दिन छात्रों को ऋण स्वीकृत किया जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अध्ययन के पूरा होने के चार साल के भीतर ऋण पर ब्याज मूल धन जितना बढ़ जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार की उक्त ऋणों पर ब्याज माफी की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त योजना किस समय तक लागू होने की संभावना है?

उत्तर

वित्त मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारामन)

(क): सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक छात्रों को शिक्षा ऋण प्रदान करते हैं। आईबीए ने भारत और विदेश में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु एक "मॉडल शिक्षा ऋण योजना" तैयार की है और सभी सदस्य बैंकों को परिचालित की है। योजना की मुख्य विशेषताओं में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:-

I. भारत में अध्ययन के लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण और विदेश में अध्ययन के लिए 20 लाख रुपए तक का ऋण,
II. शिक्षा ऋण के लिए ऋण गारंटी निधि योजना (सीजीएफएसईएल) के अंतर्गत 7.5 लाख रुपए तक संपार्श्विक मुक्त ऋण,
III. 7.5 लाख रुपए तक के लिए के लिए कोई मार्जिन नहीं,
IV. 15 वर्षों की वापसी अवधि,
V. सभी मामलों में अध्ययन पूरा होने के पश्चात् वापसी के लिए एक वर्ष का अधिस्थगन,
VI. सम्पूर्ण ऋण काल के दौरान बेरोजगारी/कम रोजगार अवधि को ध्यान में रखते हुए दो या तीन बार अधिस्थगन,
VII. यदि कोई छात्र स्नातक के पश्चात् स्टार्टअप उद्यम शुरू करना चाहता है तो पोषण अवधि के लिए अधिस्थगन।

(ख): ऋण के लिए साधारण ब्याज की गणना ऋण के संवितरण की तारीख से लेकर अधिस्थगन अवधि के अंत तक अर्थात अध्ययन (कोर्स) अवधि के साथ एक वर्ष तक, की जाती है और इसलिए ब्याज कभी भी मूल राशि तक नहीं बढ़ाया जाता है। पुनर्भुगतान अवधि के आरंभ में, अर्जित ब्याज को मूलधन के साथ जोड़ा जाता है और तदनुसार ईएमआई की गणना की जाती है। छात्रों के लिए अध्ययन अवधि और पुनर्भुगतान के आरंभ होने तक की अधिस्थगन अवधि के दौरान ब्याज का भुगतान करना वैकल्पिक है।

(ग): बैंकों द्वारा ऐसे किसी मामले की सूचना नहीं दी गयी है।

(घ) और (ड.): आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों के लिए शिक्षा ऋणों पर ब्याज सहायता उपलब्ध है। योजना के अंतर्गत 1 अप्रैल 2009 या इसके बाद संवितरित 7.50 लाख रुपये तक के शिक्षा ऋणों पर अधिस्थगन अवधि के दौरान पूर्ण ब्याज सहायता उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त, आईबीए की मॉडल शिक्षा ऋण योजना शिक्षा ऋणों पर कुछेक रियायतें प्रदान करती है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, शामिल हैं (i) 1% की ब्याज छूट यदि ब्याज अध्ययन की अवधि के दौरान और बाद में पुनर्भुगतान के आरंभ से पूर्व अधिस्थगन अवधि में लगाया गया है (ii) छात्राओं के लिए ब्याज दर में 0.5% की छूट (iii) शिक्षा ऋण पर भुगतान किए गए ब्याज की सीमा तक आय-कर में छूट।

*****